रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 26 मार्च, 2002/5 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 26 मार्च, 2002

संख्या 2-24/2002-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2002 (2002 का

3590-राजपत्र/2002-26-3-2002—1,339. मूल्य : 1 रुपया।

विधेयक संख्यांक-5) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

2002 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 में, उप-धारा (2-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2-क) ग्राम पंचायत की अवधि के दौरान सभा क्षेत्र की, उप-धारा (2) के अधीन, जब बढ़ौतरी या कमी या समाप्ति हो जाती है, तो सभा क्षेत्र की बढ़ौतरी या कमी या समाप्ति, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी ।"।

धारा 71 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 71 में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) "प्रतिवादी" शब्द के पश्चात् "या प्रत्यर्थी, यथास्थिति," शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) "उप-न्यायाधीश" शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां वे आते हैं, "या न्यायिक मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि ग्राम पंचायत को किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कठिनाई आती है तो वह उसे सम्बन्धित उप-न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकेगी और, यथास्थिति, उप-न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट डिक्री या आदेश को ऐसे निष्पादित करेगा मानों कि वह उस द्वारा पारित डिक्री या आदेश था ।"।

धारा 122 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में, "यदि उसे" शब्दों के पश्चात्, परन्तु "लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित" शब्दों से पूर्व "लोक सेवा से हटाया गया है या" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 140 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 140 में, उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण सभा क्षेत्र, इसके उस क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और लोक हित में भी नगरपालिक क्षेत्र घोषित किए जाने पर या इसके विद्यमान नगरपालिक क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण सभा क्षेत्र नहीं रह जाता है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ग्राम पंचायत को, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, भंग करेगी।

(7) ग्राम पंचायत, जिसे उप-धारा (6) के अधीन भंग किया गया है, के पदाधिकारी, सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे।"।

धारा 145 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 145 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, "अध्याय 18 के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धाराएं 41 और 42 के अधीन" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 1985 का 61 1927 का 16

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 32 के अधीन ग्राम पंचायतों को, कतिपय सिविल और दाण्डिक अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया गया है। भरणपोषण भत्ते की व्यवस्था करवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश उप-न्यायाधीश द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकते। ऐसे आदेश केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही निष्पादित किए जा सकेंगे। धारा 71, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए ऐसे आदेशों के निष्पादन का उपबन्ध नहीं करती। इसलिए ऐसे आदेशों को निष्पादित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को सशक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

विद्यमान उपबन्ध यह व्यवस्था करते हैं कि कोई व्यक्ति, जिसे सिवाय अस्वस्थता के आधार पर, लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, परन्तु व्यक्ति जिसे लोक सेवा से हटा दिया गया है, निरर्हित नहीं होगा, जबकि दोनों दण्ड समान हैं और दोनों ही गम्भीर अवचार के मामलों में दिए जाते हैं। इसलिए यह विनिश्चित किया गया है कि अधिनियम में इस प्रभाव का उपबन्ध किया जाए।

उक्त अधिनियम की धारा 3 किसी भी ग्राम सभा क्षेत्र को कम करने और सभा के सम्पूर्ण क्षेत्र को किसी अन्य सभा क्षेत्र में, या विद्यमान नगरपालिका में या नई नगरपालिका की स्थापना के लिए सम्मिलित करना जैसे कतिपय मामलों में इसकी समाप्ति का उपबन्ध करती है। पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व पंचायत की स्वत: समाप्ति और समस्त सदस्यों द्वारा पद रिक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ङ के उपबन्धों से प्रत्यक्षत: विरोध में है, जो स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध करता है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अविलम्ब विघटित नहीं कर दिया जाता, प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्षों के लिए बनी रहेगी। इस संदिग्धता (अस्पष्टता) को समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण सभा क्षेत्र के, सभा क्षेत्र न रहने की दशा में, राज्य सरकार को पंचायत का विघटन करने हेतु सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 140 में उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है।

अधिनियम की धारा 145 में ऐसा उपबन्ध नहीं है जो पंचायती राज संस्थाओं के उन पदाधिकारियों को निलंबित करे, जिन्हें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धाराएं 41 और 42 के अधीन किसी भी दाण्डिक (आपराधिक) कार्यवाही में आरोपित किया गया है और प्राधिकारियों को ऐसे पदाधिकारियों को निलंबित करने में कठिनाईयां आ रही हैं। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धाराएं 41 और 42 के अधीन किए गए अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं, अत: धारा 145 का यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला:
तारीख.....मार्च, 2002.

प्रकाश चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

Bill No 5 of 2002

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2002

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 *of* 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2002.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for sub-section (2-A), the following shall be substituted, namely:— 4 of 1994

"(2-A) When on account of the reason that the Sabha area is, during the term of the Gram Panchayat, increased or diminished or ceased under sub-section (2), the increase or diminition or cessation of the Sabha area shall not affect the term of the office bearers of Gram Panchayat, till the expiration of the duration of the Gram Panchayat specified in sub-section (1) of section 120 or its dissolution under section 140 of this Act.".

Amendment of section 71.

3. In section 71 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(*i*) after the word "defendant", the words and signs "or respondent, as the case may be," shall be inserted; and

(*ii*) after the word "Sub-Judge", wherever it occurs, the words "or the Judicial Magistrate" shall be inserted ; and

(*b*) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) If a Gram Panchayat finds any difficulty in executing a decree or order, it may forward the same to the Sub-Judge or the Judicial Magistrate concerned and the Sub-Judge or the Judicial Magistrate, as the case may be, shall then execute the decree or order as if it were a decree or order passed by him.".

Amendment of section 122.

4. In section 122 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*f*), after the words "if he has been", the words "removed from public service or" shall be inserted.

Amendment of section 140.

5. In section 140 of the principal Act, after sub-section (5), the following new sub-sections shall be added, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in this section, when on account of the reason that the whole of the Sabha area of the Gram Panchayat ceases to be the Sabha area either due to its declaration as Municipal area or its inclusion in the existing Municipal area for providing better facilities to the public of the said area and also in the public interest, the State Government shall, by an order published in the Official Gazette, dissolve the Gram Panchayat from a date specified in the order.

(7) The office bearers of the Gram Panchayat which has been dissolved under sub-section (6) shall vacate their offices from the date specified in the order of the Government.".

Amendment of section 145

6. In section 145 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*a*), after the words, sign and figures "Indian Penal Code, 1860", the words, signs and figures "or under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927" shall be inserted.

61 of 1985
16 of 1927.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the Gram Panchayats have been empowered to take cognizance of certain civil and criminal offences. The orders passed by Gram Panchayat for providing maintenance allowance can not be executed by the Sub-Judge. Such orders can only be executed by the Judicial Magistrate. Section 71 does not provide for execution of such order by the Judicial Magistrate. Therefore, it has been decided to empower the Judicial Magistrate to execute such orders.

The existing provision provides that a person who has been disqualified for appointment in public service, except on medical grounds, is disqualified for being chosen as, and for being, an office-bearer of a Panchayat, but the person who is removed from public service is not disqualified, for being chosen as office-bearer of a Panchayat, whereas both the punishments are same and given in the cases of serious misconduct. It has, therefore, been decided that a provision to this effect be made in the Act.

Section 3 of the Act *ibid* provides for diminishing of any Gram Sabha area and also for cessation thereof in certain cases, such inclusion of whole of the Sabha area in another Sabha area or in a existing Municipality or for establishment of new Municipality. Automatic cessation of Panchayat and vacation of offices by all members before expiration of duration of five years is in direct conflict with the provisions of article 243-E of the Constitution of India, which clearly provides that every Panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue for five years from the date of the first meeting. To overcome this ambiguity, it has been decided to make provision in section 140 of the Act to empower the State Government to dissolve the Panchayat where whole of the Sabha area ceases to be a Sabha area.

There is no provision in section 145 of the Act to suspend the office bearers of the Panchayati Raj Institutions against whom charges have been framed in any criminal proceedings under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 and the authorities are facing difficulty in suspending such office bearers. The offences committed under the Narcotic Drugs and Paychotropic Substances Act, 1985 or under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 are of serious nature, therefore, it has been decided to amend section 145 suitably. This has necessitated the amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA :
The.....March, 2002.

PARKASH CHAUDHARY,
Minister-in-Charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।